झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक–3 / पी॰एम॰सी॰ / कार्य / 433 / 2021-09/21-22 प्र॰ स्वी॰ / रॉंची, दिनांक–17.08.2021

प्रेषकः

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड,
पो॰–हिनू, रॉंची।

द्वाराः आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई रॉंची प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमंडल सिमडेगा अंतर्गत जिला–सिमडेगा, प्रखंड–कोलेबिरा के कोलेबिरा मध्यम सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार कार्य हेतु लागत राशि रू॰ 164.59752 लाख (रूपये एक करोड़ चौसठ लाख उनसठ हजार सात सौ बावन) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

1. जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई रॉंची प्रक्षेत्राधीन लघु सिंचाई प्रमंडल सिमडेगा अंतर्गत जिला–सिमडेगा, प्रखंड–कोलेबिरा के कोलेबिरा मध्यम सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार कार्य हेतु लागत राशि रू॰ 164.59752 लाख (रूपये एक करोड़ चौसठ लाख उनसठ हजार सात सौ बावन) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. कोलेबिरा मध्यम सिंचाई योजना का निर्माण वर्ष 1988 में पूर्ण हुआ है। वित्तीय वर्ष 19–20 में विभागीय पत्रांक–7वि0शा0 / मु0ल0सिं0रॉंची–07–04 / 2019 ज0सं0–51 / 19–20 प्र0स्वी0 दिनांक–24.09.19 द्वारा कुल 214 अदद् आहर / बांध / तालाब / मध्यम सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें उक्त योजना के जीर्णोद्धार कार्य भी सम्मिलित था। झारखंड विधान सभा का वर्ष 2019 के उत्तरार्द्ध में चुनाव एवं तदुपरांत अनुसूचित दर के पुनरीक्षण के कारण उक्त योजना की निविदा आमंत्रित नहीं की जा सकी।
3. विगत वर्ष में रख–रखाव नहीं हो पाने के कारण बॉंध में पूर्व से हो रहे रिसाव के कारण आपातकालिन स्थिति पैदा हो गई है जिस कारण इस योजना को विशेष परिस्थिति में स्वीकृत किया जाने की आवश्यकता महसूस की गई है। इस योजना के स्पीलवे के बांए फेस वाल, विंग वाल एवं रिटर्न वाल से जल का रिसाव हो रहा है एवं इसके कारण स्पीलवे के फेसवाल के समीप लगभग दस मीटर की लम्बाई में बांध अत्याधिक क्षतिग्रस्त हो गया है। बांध को टूटने से बचाने तथा रिसाव को रोकने हेतु योजना का अविलम्ब जीर्णोद्धार एवं मरम्मति करने की आवश्यकता है। योजना का विगत पांच वर्षो में विभाग द्वारा पुर्नस्थापन कार्य नहीं कराया गया है।
4. माननीय सदस्य विधानसभा कोलेबिरा द्वारा दिनांक–10.03.2021 को विधान सभा में शून्यकाल के प्रश्न में योजना का जीर्णोद्धार कराने के संबंध में पृच्छा की गई थी। योजना के जीर्णोद्धार हेतु प्राक्कलन दिनांक–01.03.2021 से प्रभावी अनुसूचित दर पर तैयार किया गया है। इसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई रॉंची द्वारा प्रदत्त है।

5. वर्तमान में योजना से मात्र 60 हे0 खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। योजना के पुर्नस्थापन के उपरांत कुल 176 हे0 (खरीफ–116 एवं रब्बी–60 हे0) सिंचन क्षमता के पुनर्जीवित होने का अनुमान है तथा कोलेबिरा बजार के लगभग बारह हजार आबादी को पीने का पानी उपलब्ध किया जा सकेगा।
6. योजना की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव सक्षम पदाधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति पर आधारित है।
7. योजना के पुर्नस्थापन कार्य के प्राक्कलन में मुख्य रूप से निम्नलिखित अवयवों को शामिल किया गया है:–

(i) स्पिलवे एवं एबटमेंट की मरम्मति,
(ii) टो वॉल का निर्माण,
(iii) गाद की सफाई,
(iv) बांध की मरम्मति,
(v) नहर की मरम्मति,

8. वित्तीय वर्ष 2021–22 में स्वीकृत बजट उपबंध निम्नवत् है:–

(I) बजट शीर्ष ''मुख्य शीर्ष–4702 –लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण''–45 निर्माण कार्य (50–S–4702–00–796–20–00–05–45) अंतर्गत रू0 2835.00 लाख का प्रावधान है।

9. इस योजना पर होने वाला व्यय निम्न बजट शीर्ष से भारित किया जा सकेगा :–

(I) बजट शीर्ष ''मुख्य शीर्ष–4702 –लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–20–पुरानी लघु सिंचाई योजनाओं का सम्पोषण एवं पुनर्स्थापन कार्य–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण''–45 निर्माण कार्य (50–S–4702–00–796–20–00–05–45) अंतर्गत भारित होने वाले व्यय की राशि रू0 164.59752 लाख है।

10. इस योजना का निर्माण कार्य वर्ष 2021–22 में प्रारम्भ कर वर्ष 2022–23 में पूर्ण किया जायेगा।
11. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, सिमडेगा होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची होंगे। संबंधित कार्यपालक अभियंता की यह व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी कि योजना का निर्माण कार्य उत्तम गुणवत्ता का हो।
12. कार्य कराने वाली Agency द्वारा ही कार्य सम्पन्न होने के उपरांत अगले तीन (03) वर्षो तक Repair & Maintenance कराया जाएगा।
13. कार्य के निविदा निस्तारण के क्रम में विभागीय पत्रांक–3112, दिनांक–14.06.2019 की कंडिका–6.11 में निर्धारित समय सीमा का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. इस कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निर्देशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं तथा मानकों का सम्यक रूप से अनुपालन करते हुए योजनाओं का प्रबोधन किया जाएगा।
15. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य वित्त विभागीय परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जाएगी।
16. झारखंड कोषागर संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
17. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
18. प्रस्ताव पर सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
19. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

16/08/21
(प्रशान्त कुमार)
सचिव

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/ कार्य /433/2021-09/21-22प्र०स्वी० / राँची, दिनांक– 17.08.2021

प्रतिलिपिः योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड सरकार/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

17.08.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/ कार्य /433/2021-09/21-22प्र०स्वी० / राँची, दिनांक– 17.08.2021

प्रतिलिपिः कोषागार, पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

17.08.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/ कार्य /433/2021-09/21-22 प्र०स्वी० / राँची, दिनांक– 17.08.2021

प्रतिलिपिः सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–3/ अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, सिमडेगा/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। संबंधित पदाधिकारी द्वारा सभी कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

17.08.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/ कार्य /433/2021-09/21-22प्र०स्वी० / राँची, दिनांक– 17.08.2021

प्रतिलिपिः आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

17.08.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/ कार्य /433/2021-09/21-22प्र०स्वी० / राँची, दिनांक– 17.08.2021

प्रतिलिपिः माननीय (मुख्य) मंत्री महोदय, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

17.08.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियत्रण)

पत्रांक–3/पी॰एम॰सी॰/ कार्य /433/2021-09/21-22प्र०स्वी० / राँची, दिनांक– 17.08.2021

प्रतिलिपिः वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु /ई0 सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल–3, जल संसाधन विभाग, राँची को ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु प्रेषित।

17.08.21

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभियत्रण)